

RTE

परिशिष्ट- दो
प्रपत्र-2

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 के नियम- 17 को देखे।

ई-मेल: DPOSSA_ALMORA@YAHOO.IN दूरभाष 05962234796
फैक्स- 05962234796

पत्रांक 3324
सेवा में,

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा उत्तराखण्ड
दिनांक 7 सितम्बर 2013


अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबन्धक
माउण्ट सिनई स्कूल रानीखेत।
जनपद-अल्मोड़ा।

विषय- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19(2) के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा पत्र मार्च 2013 के अगस्त 2013 के क्रम में आपको विद्यालय माउण्ट सिनई स्कूल रानीखेत विकासखण्ड ताड़ीखेत अल्मोड़ा को अधिनियम की धारा 19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मापदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद अल्मोड़ा में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या **TARI-210** है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली के नियम 18 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय


जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
अल्मोड़ा।

2.9.13